शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2025
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहु प्रवेश और बहु निकास का विश्लेषण

प्रो. बनवारी लाल जैन (विभागाध्यक्ष)
डॉ. अमिता जैन (सहआचार्य)
शिक्षा विभाग
जैन विश्व भारती संस्थान
लाडनूं, राजस्थान

शोध संक्षेप

मल्टीपल एंट्री व एग्जिट से तात्पर्य बिना पढाई छोड़े छात्र अपनी शिक्षा को निरंतर बना कर रख सकता है। इस प्रक्रिया में छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। वह अपनी रूचि, आवश्यकता, योग्यता, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार अध्ययन के लिए स्वतंत्र है। इस सिस्टम में छात्र बीच में पढाई छोड़ता है और आगे पढना चाहता है तो वह अध्ययन कर सकता है। वह किसी परिस्थति के कारण नियमित अध्ययन नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जायेगा। यदि वह अपना अध्ययन एक वर्ष करता है तो सर्टिफिकेट, दो वर्ष अध्ययन करता है तो डिप्लोमा और तीन वर्ष अध्ययन करता है तो डिग्री प्राप्त होगी। चार वर्ष का स्नातक करता है तो उसे रिसर्च या ऑनर्स डिग्री मिलेगी। जिसके 75% से अधिक अंक स्नातक के तृतीय वर्ष में होने पर वही छात्र चार वर्षीय डिग्री कोर्स कर सकता है। इस सिस्टम में सुविधा के अनुसार अपनी पढाई कर सकता है।

मुख्य शब्द : *मल्टीपल एंट्री व एग्जिट, एकेडमिक बैंक क्रेडिटस, क्रेडिट संचयन*

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में लचीली शिक्षा, नवीन एवं अनुकूलनीय पाठ्यचर्या संरचना की परिकल्पना की गई है जो विषयों के अनूठे संयोजन तथा प्रवेश और निकास के बिंदु प्रस्तुत करती हैऔर वर्तमान शिक्षा में कठोर बाधाओं, चुनौतियों, समस्याओं को दूर करती है ताकि शिक्षार्थियों को अपने शैक्षणिक पथ पर आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिल सके। लचीलेपन में किसी भी कारण से अध्ययन के एक कार्यक्रम के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने, बाद में उसे फिर से शुरू करने, किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान में शेष अध्ययन जारी रखने या उपयुक्त योग्यता के साथ उसे पूरी तरह से छोड़ने की स्वतंत्रता 'बहु प्रवेश और बहु निकास (एमई-एमई) योजना द्वारा संभव होता है। यह योजना स्कूल छोड़ने की दर कम करेगी और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करने में समर्थ होगी। छात्रों के लाभ के लिए एक विकल्प है, शिक्षार्थियों को अध्ययन हेतु बनाए रखना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने की उम्मीद है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। क्लस्टर के भीतर एक उच्च शिक्षा संस्थान से दूसरे उच्च शिक्षा संस्थान में छात्रों की सुचारू आवाजाही की जा सकती है। एक उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा दूसरे उच्च शिक्षा संस्थान का मार्गदर्शन किया जा सकता है ताकि एनईपी 2020 के अनुरूप उनके कार्यक्रम परिणामों को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। स्नातक कार्यक्रमों (अर्थात यूजीसी का चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा) और साथ ही

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम और क्रेडिट ढांचा, दोनों ही एनईपी 2020 पर आधारित हैं। इनमें प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण किए गए अध्ययन के स्तर के अनुरूप योग्यता के साथ बाहर निकलने की सुविधा अंतर्निहित है। पुनर्गठित डिग्री कार्यक्रमों में स्नातक की डिग्री तीन या चार साल की अवधि की, जिसमें बहु प्रवेश और बहुनिकास विकल्प और साथ ही उपयुक्त प्रमाणपत्र हों। उदाहरण के लिए व्यावसायिक और पेशेवर क्षेत्रों सहित किसी विषय या क्षेत्र में एक वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र, दो साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा या तीन साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम छात्र की पसंद के अनुसार प्रमुख और गौण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र और बहुविषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। छात्र उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में एक गहन शोध परियोजना पूरी करता है तो चार वर्षीय कार्यक्रम के साथ अनुसंधान के साथ ऑनर्स की डिग्री भी दी जा सकती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान के पास विभिन्न डिज़ाइन प्रदान करने की सुविधा होगी जो निम्न प्रकार है :

1 तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वालों के लिए दो वर्षीय कार्यक्रमए जिसमें दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा।

2 शोध सहित चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम।

3 एक एकीकृत पाँच वर्षीय स्नातक-स्नातकोत्तर कार्यक्रम।

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों में बदलना, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शामिल हैं, जिनमें डिग्री कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं, योग्यता के स्तर और सीखने के परिणामों का विवरण दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में ME-ME के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए यूजीसी के दिशा-निर्देश 29 जुलाई 2021 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और बहुनिकास के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन आवश्यक हैं।

मल्टीपल एंट्री व एग्जिट कार्यक्रम के घटक.

1 एकेडमिक बैंक खाता : एक विद्यार्थी द्वारा एकेडमिक क्रेडिटस बैंक में खाता खोला जायेगा। यह खाता व्यक्तिगत होगा। जिसमें अध्ययन किये गये स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातक डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातक डिग्री (आनर्स विथ रिसर्च) स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड बैचलर, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, स्नातकोत्तर डिग्री आदि पाठ्यक्रम का हिसाब रखना होगा।

2 एकेडमिक क्रेडिटस बैंक : यह एक अकादमिक व्यवस्था है। जिसमें क्रेडिट स्वीकृति, क्रेडिट संचयन, क्रेडिट अंतरणकी औपचारिक प्रणाली से शिक्षण संस्थान उपाधि प्रदान कर सकेगी। यह डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन इकाई के रूप में होगी। जिसको आयोग द्वारा केंद्र सरकार से अनुमोदित करना होगा। विद्यार्थी को स्वयं का सीखने का रास्ता चयन करना है। उच्चतर शिक्षण संस्थान ने बनाये एकेडमिक क्रेडिटस बैंक खाते जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रम की संरचना और अंत:विषय या बहुविषयक गतिशीलता को बढ़ावा देना होगा, उच्चतर शिक्षा के कई विषयों को एकीकरण करेगी, व्यापक विषयों के

साथ पाठ्यक्रम में लचीलापन और रुचिकर विकल्प प्रदान करेगा, विद्यार्थी केन्द्रित को बढ़ाना, ज्ञानेच्छा के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करना, समय की प्राथमिकताएँ के अनुरूप डिग्री प्राप्त करना एवं आजीवन अधिगम को सुलभ कराना।

3 क्रियान्वयन पद्धति : विद्यार्थी केन्द्रित, लचीली व क्रेडिट आधारित सुविधा है। पंजीकृत उच्चतर शिक्षण संस्थान संबंधित अथॉरिटी से अनुमोदन कराये, पाठ्यक्रम पंजीकरण, पाठ्यक्रम योग्यता, अंतर विषय एवं बहु विषयक पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, इन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट, ग्रेड, क्रेडिट अंतरण आदि से संबंधित नियम बनाना। डिग्री की डिज़ाइन बनाना, क्रेडिट का 50% अर्जित करने पर ही प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान करे। ये विद्यार्थी एकल पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकते है। परिवर्तनशील ऑनलाइन निर्देशिका बनाना, सात वर्ष के लिये ही वह मान्य होंगे।

4 क्रेडिट : क्रेडिट से तात्पर्य समयावधि से है। थ्योरी कक्षा का एक घंटा या अनुवर्ग कक्षा का एक घंटा या प्रायोगिक कक्षा के दो घंटे एक क्रेडिट माना जायेगा। यह घंटे की मानक गणना पद्धति है। एक सेमेस्टर 13-15 सप्ताह की अवधि का अथवा 78-90 कार्यदिवस का एक सेमेस्टर हो सकता है। इंटर्नशिप का प्रति सप्ताह एक क्रेडिट होगा, अधिकतम छह क्रेडिट की होगी ।

5 क्रेडिट संचयन : किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन से अर्जित किये गये क्रेडिट से है। एकेडमिक क्रेडिटस बैंक द्वारा एकेडमिक बैंक खाते में क्रेडिट को स्थान्तरित करना और समेकित करना है।

6 क्रेडिट मान्यता : उच्च शिक्षण संस्थान जो आयोग से मान्यता प्राप्त हो। वह उच्चतर शिक्षण संस्थान एकेडमिक क्रेडिटस बैंक खाते को क्रेडिटस हस्तांतरित कर सकती है।

7 क्रेडिट रिडेम्पशन : एकेडमिक बैंक खाते में अर्जित क्रेडिट को विनिमय करने की प्रक्रिया है। एक वर्षीय अध्ययन स्नातक प्रमाण पत्र, दो वर्षीय अध्ययन स्नातक डिप्लोमा, तीन वर्षीय अध्ययन स्नातक डिग्री, चार वर्षीय अध्ययन स्नातक डिग्री (आनर्स विथ रिसर्च), एक वर्षीय अध्ययन स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पांच वर्षीय अध्ययन इंटीग्रेटेड बैचलर, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, दो वर्षीय अध्ययन (स्नातक डिग्री के बाद) स्नातकोत्तर डिग्री, एक वर्षीय अध्ययन (चार वर्षीय स्नातक डिग्री आनर्स विथ रिसर्च के बाद) स्नातकोत्तर डिग्री आदि के लिये क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना है। कोई विद्यार्थी किसी पंजीकृत संस्थान से कितने क्रेडिट का कोर्स करता है, उतना उसके एकेडमिक बैंक खाते में विनिमय करना है।

8 क्रेडिट अंतरण : पंजीकृत उच्चत्तर शिक्षा संस्थान भारत के किसी उच्चत्तर शिक्षा संस्थान में पंजीकृत विद्यार्थी को अध्ययन करने पर मानदंडो के नियमानुसार व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खाते में क्रेडिट प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम है।

उद्देश्य

संस्थानों की पाठ्यचर्या, शैक्षणिक और अनुशासनात्मक सीमाओं से छात्रों को लचीलापन प्रदान करना और अंतर-संस्थागत संदर्भ में एक व्यापक शिक्षण वातावरण को सक्षम बनाना।

शिक्षण अन्वेषणात्मक हो और साथ ही प्रयोग करने और कई रास्ते तलाशने में लचीलापन भी हो।

एनसीआरएफ स्तर 5 से आगे प्रवेश के लिए पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से रिक्त सीटों को भरा जाए।

एनईपी 2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विश्वसनीय तरीके से विभिन्न विषयों और ज्ञान प्रणालियों में गतिशीलता सुनिश्चित करना।

योग्यता, प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ : (Qualification, Types and Credit Requirements) :

स्तर (Levels)	**योग्यता शीर्षक (Qualificationtitle)**	**न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ (Minimum Credit requirements)**
Level 4.5	स्नातक प्रमाणपत्र (शिक्षण/अनुशासन के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (दो सेमेस्टर) के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं।(कार्यक्रमअवधि: स्नातक कार्यक्रम का प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर) (Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (two semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: first year or two semesters of the undergraduate programme)	40
Level 5	स्नातक डिप्लोमा (शिक्षण/अनुशासन के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो स्नातक कार्यक्रम के दो वर्ष (चार सेमेस्टर) के बाद बाहर निकलते हैं (कार्यक्रम अवधि: स्नातक कार्यक्रम के पहले दो वर्ष या चार सेमेस्टर) (Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after two years (four semesters) of the undergraduate program (Program duration: First two years or four semesters of the undergraduate programme)	80
Level 5.5	स्नातक डिग्री (कार्यक्रम अवधि: तीन वर्ष या छह सेमेस्टर)। (Bachelor Degree (Programme duration:	120

	Three years or six semesters)	
Level 6	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) (कार्यक्रम अवधि: चार वर्ष या आठ सेमेस्टर)।(Bachelor' Degree) (Honors/Research) (Program duration: Four years or eight semesters)	160
Level 6	दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के प्रथम वर्ष या दो सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बाहर निकलने वालों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (कार्यक्रम अवधि: एक वर्ष या दो सेमेस्टर) (Post-Graduate Diploma for those who exit after the successful completion of the first year or two semesters of the two-year Master's degree programme). (Program duration: One year or two semesters)	40
Level 6.5	मास्टर डिग्री (कार्यक्रम अवधि: स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)।(Master's Degree) (Program duration :Two years or four semesters after obtaining a Bachelor's degree).	80
Level 6.5	मास्टर डिग्री (कार्यक्रम अवधि: चार वर्षीय स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च) प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या दो सेमेस्टर)।(Master's Degree) (Programme duration: One year or two semesters after obtaining a four-year Bachelor's Degree (Honors/Research).	40
Level 7	मास्टर डिग्री (कार्यक्रम अवधि: चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या 4 सेमेस्टर)। (Master's Degree) (Programmeduration:Twoyearsor4 semesters after obtaining a four-year Bachelor's Degree.)	80

Level 8	डॉक्टरेट की डिग्री (Doctoral Degree)	पाठ्यक्रम कार्य और थीसिस प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम निर्धारित क्रेडिट (Minimumprescribed credits for course workandsubmission of a thesis)

प्रवेश और निकास बिंदुओं का सारांश : एनईपी 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश और निकास बिंदुओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है। एनसीआरएफ और एनएचईक्यूएफ के आधार परस्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश और निकास बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है :

S.No.	**प्रवेश आवश्यकता (**Entry Requirement**)**	**निकास (**Exit**)**	**एनसीआरएफ लेवल (**NCRF Level**)**	**योग्यता (**Qualification**)**
1	कक्षा 12वीं या समकक्ष स्नातक (Class12thor equivalent)	1stYear	4.5	यू.जी सर्टिफिकेट (UG Certificate)
2	प्रमाणपत्र / स्नातक प्रथम वर्ष की समाप्ति (40 क्रेडिट) (UG Certificate/Completion of 1st year UG) (40 credits)	2ndyear	5	यू.जी डिप्लोमा (UG Diploma)
3	स्नातक डिप्लोमा/स्नातक द्वितीय वर्ष की समाप्ति (120 क्रेडिट) (UG Diploma/ Completion of2nd year UG) (120 credits)	3rdYear	5.5	यू.जी डिग्री (UG Degree)
4	यूजी डिग्री/तृतीय वर्ष का समापन(UG Degree / Completion of 3rd Year)	4th Year	6	यू.जी डिग्रीऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च (UG (Hons.)or UG (Hons. With Research)

5	यूजी डिग्री (3-वर्षीय) (UG Degree) (3-year)	1st Year of 2- year PG	6	पी.जी डिप्लोमा (PG Diploma)
6	यूजी डिग्री (3-वर्षीय) के बाद 2-वर्षीय पीजी के प्रथम वर्ष का समापन (Completionof1st Year of2-yearPG pursued after UG Degree) (3-year)	2nd Year of 2- year PG	6.5	पी.जी डिग्री (PGDegree)
7	यूजी डिग्री (4-वर्षीय) (UG Degree) (4-year)	1year	6.5	पी.जी डिग्री (PG Degree)
8	यूजी डिग्री (4-वर्षीय) के बाद 2-वर्षीय पीजी के प्रथम वर्ष का समापन (Completionof1st Yearof2- year PG pursued after Degree) (4-year)	2nd Year of 2- year PG	7	पी.जी डिग्री (PG Degree)

आजीवन शिक्षा : एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास आजीवन शिक्षा का समर्थन करते हैं। यदि क्रेडिट की वैधता बरकरार है तो कोई शिक्षार्थी कार्यक्रम से बाहर निकलकर पुनः शामिल हो सकता है और वहीं से जारी रख सकता है जहाँ उसने छोड़ा था। क्रेडिट की समाप्ति के बाद शिक्षार्थी 'पूर्व शिक्षा की मान्यता' मार्ग का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही समाप्त हो चुके क्रेडिट के पुनर्मूल्यांक्न प्रावधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परिचालन विवरण : एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास का संचालन उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा इसके लिए स्थापित निकाय द्वारा प्रदान की गई विधि के अनुसार प्राप्त समतुल्यता के आधार पर क्रेडिट के हस्तांतरण के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम (पेपर) में सुपरिभाषित अधिगम परिणाम और दक्षताएँ होनी चाहिए जो मापने योग्य हों और एनएचईक्यूएफ / एनएसक्यूएफ के साथ विधिवत संरेखित हो। किसी पाठ्यक्रम के ऐसे अधिगम परिणाम और दक्षताओं का पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के साथ सह-संबंध होना चाहिए। अधिगम परिणाम और दक्षताओं को इस दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है कि छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उसमें ज्ञान और समझ विकसित करे, व्यावहारिक / प्रयोगात्मक कौशल का प्रदर्शन, अर्जित ज्ञान और कौशल का जीवन में प्रयोग और विश्लेषण आदि का नया नवाचार विकसित करे।

निष्कर्ष

एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) का निर्माण, क्रेडिट मान्यता, संचय, स्थानांतरण और मोचन को औपचारिक रूप देकर डिग्री प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच छात्रों की सुचारू आवाजाही को और सुगम बनाता है। एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकास छात्रों को बीच में छोड़े गये अध्ययन से पुन: जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें छात्र स्वयं निर्णय ले सकता है। इस सिस्टम में स्नातक

स्तर पर छात्र को सर्टिफिकेट के लिए 40 क्रेडिट, डिप्लोमा के लिए 80 क्रेडिट, डिग्री के लिए 120 क्रेडिट, चार वर्षीय स्नातक (रिसर्च या ऑनर्स डिग्री) के लिए 160 क्रेडिट करना अनिवार्य है। एक वर्षीय स्नातकोत्तर में 40 क्रेडिट दो वर्षीय स्नातकोतर में 80 क्रेडिट प्राप्त करना होता है। यह शिक्षा ऐसे विद्यार्थी का समर्थन करती है, जो शिक्षा को रोक कर वापस लौटाते हैं, जिस जगह से अध्ययन छोड़ा उसी जगह से पुनः शुरू करते है। यह शिक्षा में एक नई डिजाइन तैयार की गई है जो छात्रों के लिए काफी हितकारी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- *Draft Guidelines-for-Multiple-Entry-and-Multiple-Exit*
- *https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/abc_doc.pdf*
- *https://www.gku.ac.in/Downloads/uploads/5.%20MEES%20Policy.pdf*
- *https://blog.linways.com/what-is-multiple-entry-and-exit-system-mees-introduction-benefits-abc-linways/*
- *https://svvv.edu.in/assets/pdf/Policy%20Document/Multiple_Entry_and_Multiple_Exit_30.01.2025.pdf*